राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 168—पीबीआर / 2016 निगरानी जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
22-1-16	आवेदक के अभिभाषक ने उपस्थित होकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 345/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-3-15 में भूल से सर्वे नंबर 161 के स्थान पर 165 टंकित हो जाने के कारण इसी सर्वे नंबर को लिखते हुये न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 168-पीबीआर/2016 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 18 जनवरी,2016 में अपर आयुक्त के आदेश के आधार पर ग्राम धाकड़ खिरिया की भूमि सर्वे नंबर 161 मिन के स्थान पर 165 लिखा हो गया है एंव आदेश के प्रथम पद में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25-3-15 के स्थान पर 23-3-15 लिखा हो गया है। उन्होंने भूल सुधार करने की प्रार्थना की। 2/ तहसीलदार भितरवार के प्रकरण क्रमांक 70/2003-04 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2004 एंव कलेक्टर ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 33/2009-10 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-10-2004 तथा अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण	

R.168-PBR/16 जिला ग्वालियर

	क्रमांक 345/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-3-15 के मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदक के हित में ग्राम धाकड़ खिरिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 161 मिन का पट्टा जारी हुआ है। परन्तु अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25-3-2015 में त्रृटिवश सर्वे नंबर 161 के स्थान पर 165 टंकित होने से न्यायालयीन प्रकरण कमांक 168-पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 18 जनवरी,2016 में ग्राम धाकड़ खिरिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 161 मिन के स्थान पर भूमि सर्वे नंबर 165 मिन टंकित हो गया है तथा आदेश के प्रथम पद में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25-3-15 के स्थान पर भूलवश 23-3-15 टंकित हो गया है। अतएव आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है तद्नुसार आदेश दिनांक 18 जनवरी, 2016 के प्रथम पद में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23-3-15 के स्थान पर 25-3-15 एंव ग्राम धाकड़ खिरिया की भूमि सर्वे नंबर 165 मिन के स्थान पर भूमि सर्वे नंबर 161 मिन पढ़ा जाय।
R	सदस्य